

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- सागर जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अन्तर्गत एस.एच.-21 सागर-रहली मार्ग
उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 6.080 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, सागर
को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 013/2022-BHO/ दिनांक 22.05.2023

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने
विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में
उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

शर्त-A

- 1- शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की
लागत राशि रु0 1,25,99,807/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 01.06.2023
को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को
हस्तांतरित/नामान्तरित कर दी गई है, कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 09.07.2021 एवं 19.
07.2021 की छायाप्रति, फार्म पी-2 की छायाप्रति संलग्न है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम,
1927 के तहत वन अधिसूचित करने की कार्यवाही प्रचलित है।
- 4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये
58,23,302/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 01.06.2023 को ऑनलाईन जमा
की जा चुकी है।
- 5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं
नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में
ऑनलाईन दिनांक 01.06.2023 को जमा की जा चुकी है।

6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सागर का प्रमाण पत्र दिनांक 22.03.2021 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

7- शर्त क्रमांक (7, 8 एवं 9) के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है।

8- शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

9- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है।

शर्तें-B

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्था को शर्त मान्य है।

2- शर्त क्रमांक (2) एवं (3) के पालन में आपके निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा।

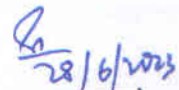
3- शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4- शर्त क्रमांक (5) से (18) के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1124/2022/10-11/2626
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28-6-23

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), सागर वृत्त, सागर, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण सागर, मध्यप्रदेश।
 3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) - (म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय संभागीय प्रबन्धक, सागर

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर तिली रोड तहसील सागर - 470002, Ph: 07582-241888

Web site: www.mprdc.gov.in E-mail: dm-sagar@mp.gov.in

पत्र क्र. 733 / एम.पी.आर.डी.सी. / 2023
प्रति

सागर, दिनांक 22 / 06 / 2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- सागर जिले में ए.डी.बी.योजना के अन्तर्गत एस.एच.21 (Km 0/000 to 39/165) सागर रहली मार्ग उन्नयन/ चौड़ीकरण हेतु 6.08 हेक्टेयर वनभूमि संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को उपयोग पर देने बावत

संदर्भ:- 1. तकनीकी अधिकारी (वानिकी), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय

कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 013/2022-बीएचओ दिनांक 22.05.2023

2. वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सागर वनमण्डल का पत्र क्र. 1576 दिनांक 29.05.2023

उपरोक्त विषय में लेख है कि सागर जिले में ए.डी.बी.योजना के अन्तर्गत एस.एच.21 (Km 0/000 to 39/165) सागर रहली मार्ग उन्नयन/ चौड़ीकरण हेतु 6.08 हेक्टेयर वनभूमि संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को उपयोग पर देने बावत तकनीकी अधिकारी (वानिकी), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 013/2022-बीएचओ दिनांक 22.05.2023 के माध्यम से पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रेषित है -

S.N	Condition	MPRDC Response
A	Condition which need to be complied prior to hand over of forest land by the state Forest Department	
1	Cost of compensatory afforestation of the CA land (6.08 ha non-forest land & 6.00 ha Degraded Forest land) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cot of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as requireed for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Total amount Rs 1,84,23,109/-deposited in CAMPA fund as per demand note issued by DFO Sagar which include Rs. 1,25,99,807/- for compensatory afforestation [UTR No. HDFC.52023053160721719]
2	The Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	Document of CA land Transfer in favour of forest department are attached here with
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as reserved forest under section-4 or protected forest under section-29 of the Indian Forest Act 1927 or under the relevant section(s) of the State Forest Act. A copy of the same shall be submitted along with Stage-I compliance report.	Related to Forest department

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

(मध्य राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) (मध्य शासन का उपक्रम)

कार्यालय संभागीय प्रबन्धक, सागर

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर गिरी रोड लखनौल सागर - 470002 Ph: 07582-241888

Web site: www.mprdc.gov.in E-mail: dm-sagar@mp.gov.in

CIN No.: U45203MP2004SGC016758

S.N	Condition	MPRDC Response
4	The state government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.08 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in I.A No. 566 in WP © No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PI.II) dated 18.09.2003, as well as letter No.5-2/2006-FC dated 03.10.2006, 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 & 5-3/2011-FC (Vol.1) dated 06.01.2022 in this regard.	Amount Rs 1,84,23,109/- deposited in CAMPA fund as per demand note issued by DFO Sagar which include Rs. 58,23,302/- for Net Present Value (NPV) amount (UTR No. HDFC52023053160721719)
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	Amount Rs 1,84,23,109/- deposited in CAMPA fund as per demand note issued by DFO Sagar. (UTR No. HDFC52023053160721719)
6	Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concern District Collector.	FRA Copy enclosed with proposal.
7	The user agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department (SFD) and the plantation shall be carried out by the SFD at the cost of User Agency.	Submitted
8	The user agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per IRC norms.	The plantation shall be carried out as per IRC norms on both side shoulders of road.
9	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Contractor has been instructed for fulfillment of all the condition. If Contractor fails to fulfill any condition the forest dept. is free to take disciplinary action against the Contractor.
10	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Compliance report updated on E-portal on dated 13.06.2023.
11	In case of working permission is granted by the state forest department, a copy of the same shall be submitted along with compliance report of Stage-I approval	It is agreed that the same shall be submitted with the compliance report of stage-I approval.
8	Condition which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval	
1	Legal status of forest shall remain unchanged	Undertaking attached
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.08 ha (Two patches 4.23 ha & 1.85 ha) non-forest land at Khasra No. 1341, Village- Madkhera Jagir, Tehsil-Jaisinagar, District-Sagar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided. It is in two parts of 4.23 ha and 1.85 ha for	Undertaking attached



मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

(मध्य राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) (मध्य भारत का उत्क्रम)

कार्यालय संभागीय प्रबन्धक, सागर

मुख्य अधिकारी लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर, भिभी रोड, सागर-470002 Ph: 07582 241888

Web site: www.mprdc.gov.in E-mail: dm_sagar@mp.gov.in

CIN No. U45203MP2004SGC016758

S.N	Condition	MPRDC Response
	administrative convenience it is suggested to include the small corridor also in the CA area.	
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.00 ha degraded forest land at compartment No. PF-812, Forest Range-Dhana, District: Sagar also at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non native species should be avoided.	Undertaking attached
4	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Undertaking attached
5	User Agency shall restrict the felling of trees to the enumerated 260 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	Agreed with the condition.
6	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	Agreed with the condition.
7	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	Agreed with the condition.
8	No labour camp shall be established on the forest land.	Labour camp established in village Ghatampur.
9	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	Agreed with the condition.
10	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Undertaking attached
11	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	Undertaking attached
12	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Undertaking attached
13	Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.	Undertaking attached
14	The User Agency shall provide suitable under/ over passes in Protected Area/ Forest Area as per recommendation of the DFO/CWLW/ NBWL / REC. If applicable.	Undertaking attached
15	Plantation shall be raised on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	Undertaking attached
16	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	Undertaking attached
17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.	Undertaking attached



मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

CIN No. U45203MP2004SGC016758

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) (म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय संभागीय प्रबंधक, सागर

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर, चितौरी रोड तहसील सागर-470002, Ph: 07582-241888

Web site: www.mprdc.gov.in E-mail: dm-sagar@mp.gov.in

S.N	Condition	MPRDC Response
18	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Undertaking attached

संभागीय प्रबंधक

म.प्र.सड़क विकास निगम लि.
सागर

पृ.क्र. 734 / एम.पी.आर.डी.सी. / 2023

सागर, फि

123

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियंता (एडीबी 6), म.प्र.सड़क विकास निगम भोपाल ।
2. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, म.प्र.सड़क विकास निगम भोपाल ।
3. वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सागर (सा.) वन मण्डल, सागर म.प्र. ।
4. श्री जे.एस.चौहान/श्री राहुल कोरी, सहा.महा. म.प्र.सड़क विकास निगम सागर की ओर लेख है कि कन्शेसनायर से उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें ।
5. अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स ब्लूम कंपनी एलएलसी, भोपाल (स्वतंत्र सलाहकार पैकेज-ए) की ओर लेख है कि कन्शेसनायर से उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें ।
6. कन्शेसनायर, मेसर्स व्हीव्हीसी एसआरएल, प्रो.प्रा.लि. गुना की ओर लेख है कि कृपया उक्त शर्तों का कार्य के समय कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध शर्तों का पालन न किये जाने के एवज में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

संभागीय प्रबंधक

म.प्र.सड़क विकास निगम लि.
सागर

FORM - I

(For linear projects)

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Sagar

No. 1865

Dated 22.3.21

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 6.08 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited (name of user agency) for Sagar-Rehli Road SH-21 Section to Rehli Under MPRDC (2 len Pavhed Sholadar road construcion) of Kadta Village(s) in Rehli tehsil. .

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.08 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure VI
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.: As above.


19.3.2021
(Deepak Singh)
COLLECTOR
SAGAR (M.P.)

FORM - II

(For projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Sagar

No. 1865

Dated. 22.3.21

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 6.08 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited (name of user agency) for Sagar-Rehli Road SH-21 Section to Rehli Under MPRDC (2 len Pavhed Sholadar road construction) o Kadta Village(s) in Rehli tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire 6.08 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-I to annexure- VI
- (b) The proposal for such diversion with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA:
- (c) The each concerned Gram sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and the they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Panchyat Kadta in Rehli tehsils. is enclosed as Annexure-I to annexure VI
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;

The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section3 (1) of the FRA.

Encl.: As above.

19.3.2021
(Deepak Singh)
COLLECTOR
SAGAR (M.P)



मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) - (म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय संभागीय प्रबन्धक, सागर

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर, तिली रोड तहसील सागर -470002, Ph: 07582-241888

Web site: www.mprdc.gov.in, E-mail: dm-sagar@mp.gov.in

Undertaking

It is agreed that the additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall also be deposited by the state Government.


Divisional Manager
M.P. Road Devp. Corp. Ltd.
Sagar (M.P.)



मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) - (म.प्र. शासन का उपक्रम)

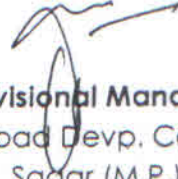
कार्यालय संभागीय प्रबन्धक, सागर

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर, तिली रोड तहसील सागर - 470002, Ph: 07582-241888

Web site: www.mprdc.gov.in, E-mail: dm-sagar@mp.gov.in

Undertaking

It is agreed that any other condition that the ministry of Environment, Forest and climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wild life, will comply by the department.


Divisional Manager

M.P. Road Devp. Corp. Ltd.

 Sagar (M.P.)

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्रमांक- 0049 अ/19(3) वर्ष 2021-22

मीजा- मढखेरा जागीर प.ह.नं. 59/130

तहसील जैसीनगर जिला सागर (म.प्र.)

संभागीय प्रबंधक,

मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय संभागीय प्रबंधक तहसील परिसर सागर

जिला सागर (म.प्र.)

विरुद्ध

आवेदक

म.प्र.शासन

अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 9 / 7 / 2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार जैसीनगर का प्रकरण क्रमांक-0014/ब-121 वर्ष 2021-22 मीजा मढखेरा जागीर अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर, नजूल अधिकारी सागर के माध्यम से प्राप्त हुआ। जिसमें संभागीय प्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी.ए. द्वारा ए.डी.बी.-6 सागर-रहली मार्ग (ल.37.415) राज्य मार्ग क्रमांक-21 को दो लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रकवा 6.08 हे. वन भूमि व्यपवर्तित हो रही है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रकवा 6.08 गैर वन भूमि की आवश्यकता है। उक्त व्यपवर्तित वन भूमि के बदले ग्राम मढखेरा जागीर रा.नि.मं. बिलहरा तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 1341 रकवा 12.84 हे. में से 6.08 हे. वन विभाग को हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया है। जिसे जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को भेजा गया।

अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण तहसीलदार जैसीनगर को प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। तहसील जैसीनगर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर राजस्व निरीक्षक बिलहरा से जांच प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर (सा.) वन मंडल सागर जिला सागर द्वारा संभागीय प्रबंधक, एम.पी.आर.डी.सी.ए. द्वारा ए.डी.बी.-6 सागर रहली मार्ग (ल.37.415) राज्य मार्ग क्रमांक-21 को दो लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रकवा 6.08 हे. वन भूमि व्यपवर्तित हो रही है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रकवा 6.08 गैर वन भूमि की आवश्यकता है। उक्त व्यपवर्तित वन भूमि के बदले ग्राम मढखेरा जागीर रा.नि.मं. बिलहरा तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 1341 रकवा 12.84 हे. में से 6.08 हे. वन विभाग को हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया है। जिसके संबंध में पटवारी हल्का क्रमांक-59/130 तहसील जैसीनगर के ग्राम मढखेरा जागीर में ग्राम का कुल भौगोलिक रकवा 1370.24 हे. मकबूजा रकवा 750.52 हे., गैर मकबूजा रकवा 619.72 हे. एवं चरोखर का रकवा 456.60 हे. है, 2 प्रतिशत के मान से चरोखर का रकवा 15 हे. बनता है, 2 प्रतिशत के मान से 132 हे. रकवा के वेशी है। पूर्व में वन विभाग को 196.36 हे. आवंटित एवं 101.88 हे. आबंटन हेतु प्रस्तावित की जा चुकी है। खसरा नंबर 1341 रकवा 12.84 हे. में से रकवा 6.08 हे. आबंटन उपरांत 6.76 हे. रकवा शेष है। जो वन सीमा के क्षेत्र में आता है। स्थल पर कोई स्थायी निर्माण एवं झाड़ पेड़ नहीं है। उक्त शेष रकवा में से चाहा गया रकवा आबंटित किया जाता है तो ग्रामवासियों के निस्तार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। प्रस्तावित भूमि में कोई स्थायी निर्माण नहीं है बंटन हेतु प्रस्तावित भूमि रिक्त है। हल्का पटवारी मढखेरा जागीर एवं रा.नि.मं. के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया गया।

P.T

कलेक्टर



अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा तहसीलदार जैसीनगर के प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव, में सलग्न प्रस्तावों से सहमत होते हुये भूमि आवंटन की अनुशंसा सहित प्रकरण नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया।

नजूल अधिकारी सागर द्वारा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 30.06.2021 में सर्व सम्मति से अनुविभागीय अधिकारी सागर/तहसीलदार जैसीनगर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम मढखेरा जागीर प.ह.नं. 59/120 रा. नि.मं. बिलहरा तहसील जैसीनगर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 1341 रकबा 12.84 हे. में से 6.08 हे. भूमि म.प्र.नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कट निर्धारण नहीं होगा, के अनुसार वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर (सा.) वन मंडल सागर को निःशुल्क भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया।

अतः तहसीलदार जैसीनगर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर एवं नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव पर ग्राम मढखेरा जागीर प.ह.नं. 59/130 तहसील जैसीनगर जिला सागर की निम्नानुसार भूमि :-

स. क.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	खण्ड नं.	कुल रकबा (हे.में)	आवंटित रकबा (हे.में)	मद
01	मढखेरा जागीर	130	1341	12.84	0.77	शासकीय चारागाह

म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए (ए.डी.बी.-6 सागर-रहली मार्ग (ल.37.415) राज्य मार्ग क्रमांक-21 को दो लेन मय पेक्ड शोल्डर मार्ग का निर्माण में 6.08 हे. वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु) म.प्र. नजूल निर्वर्तन नियम 2020 लागू दि. 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार निःशुल्क म.प्र.शासन वन विभाग को आवंटित की जाती है।

उक्त भूमि के आवंटन से ग्राम का आम निस्तार का रकबा अप्रभावित रहेगा। आवंटित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(दीपक सिंह)
कलेक्टर

जिला-सागर

सागर दिनांक 9/7/2021

पृ०क०/६७५/री०कले०/2021

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-प्रबंध) सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता (एडीबी-6), एमपीआरडीसी भोपाल को सूचनार्थ।
4. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल को सूचनार्थ।
5. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल उत्तर/दक्षिण सागर को सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संबंधित विभाग को भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा एवं संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
7. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय संभागीय प्रबंधक तहसील परिसर सागर को सूचनार्थ।
8. तहसीलदार जैसीनगर जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वन परिक्षेत्र अधिकारी, ठाना/सागर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला-सागर



न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्रमांक- 0049 अ/19(3) वर्ष 2020-21

मीजा- मढखेरा जागीर प.ह.नं. 59/130

तहसील जैसीनगर जिला सागर (म.प्र.)

संभागीय प्रबंधक,

मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय संभागीय प्रबंधक तहसील परिसर सागर

जिला सागर (म.प्र.)

आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

अनावेदक

:: संशोधित आदेश ::

(पारित दिनांक 19/7/2021)

इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-0049/अ-19(3)/2021-22 मीजा मढखेरा जागीर तहसील जैसीनगर जिला सागर पक्षकार संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय संभागीय प्रबंधक तहसील परिसर सागर जिला सागर (म.प्र.) विरुद्ध म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 09.07.2021 के पैरा 05 की सारणी में मीजा मढखेरा जागीर प.ह.नं. 130 तहसील जैसीनगर जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 1341 रकबा 12.84 हे. में से 6.08 हे. के स्थान पर रकबा 0.77 हे. लिपिकीय त्रुटि से अंकित हो गया है। जिसे 6.08 हे. पढा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा। आदेश की प्रति संबंधितों को भेजी जावे।

आदेश पारित एवं उद्घोषित।

(दीपक सिंह)

कलेक्टर

जिला-सागर

सागर दिनांक 19/7/2021

पृ०क्र०/ 7229/री०कले०/2021

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-प्रबंध) सतपुडा भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता (एडीबी-6), एमपीआरडीसी भोपाल को सूचनार्थ।
4. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल को सूचनार्थ।
5. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल उत्तर/दक्षिण सागर को सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अमिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संबंधित विभाग को भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा एवं संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
7. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कार्यालय संभागीय प्रबंधक तहसील परिसर सागर को सूचनार्थ।
8. तहसीलदार जैसीनगर जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वन परिक्षेत्र अधिकारी, ढाना/सागर को सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सागर





मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

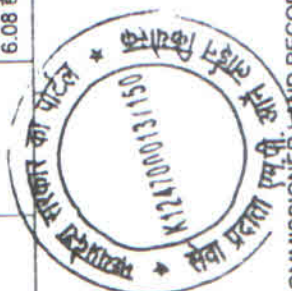
खसरा

प्रथम एका (विभाग 6 देखें)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR.No. : 11068351392

ग्राम: मण्डोरा जमीर		पटवारी हक्का: मण्डोरा राजमीर				तहसील: उन्नीनार		जिला: सागर		वर्ष: 2023-2024	
पुनि के पान की यत्निक आईडी	पुनि के पान का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/वर्ष/संख्या)	पू-संख्या (वर्ष/संख्या)	1. केसरल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. पुनि उपयोग जिसके तिर निर्धारण किया गया है 3. पू-राजस्व/पू-पाटक (रु. में)	1. परिवर्तनी का नाम, उसकी माता/पिता/पता 2. शासकीय पुनि	प्रत्येक पुनि स्वामी का असा	1. सरकारी प्लेटफार्म का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. प्ले की अवधि 3. प्ले के अर्धीन क्षेत्र	मौलवी कुचक (यदि कोई हो) उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	पुनि पर विद्यमान तथा प्रचार 1. संघक 2. वृष्टिबंधक 3. पू-अर्धीन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में फसल के अर्धीन	फसल के बारे में फसल के अर्धीन	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
155120 0646 81K98L DBP36 KH0	1341/ 3 (S)		4.6300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन पता सागर मध्य प्रदेश निजी संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0059/अ-19(3)/2020-21 एवं आदेश दिनांक 29/01/2021 के अनुसार दिनांक 21/10/2021 को शासकीय से निजी एवं खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0048/अ-19(3)/2020-21, आदेश दि. 09/07/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0049/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 09/07/2021 के अनुसार दिनांक 04/02/2023 को निजी से शासकीय एवं खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। चराई हेतु कलेक्टर न्यायालय के आदेश क्रमांक 0049/अ-19(3)/2020-21 दिनांक 29/01/2021 के अनुसार कुल रकबा 92.68 हे० में से रकबा 8.20 हे० भूमि पर कुल मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वन भूमि अर्जन होने के बटले वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित। म० प्र० रोड डेवलपमेंट कार्रवाई द्वारा सागर रहती रोड के बटले 6.08 हे० भूमि वन विभाग के हस्तांतरित।



Digitally signed by DS COMMISSIONER-LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1

Date: 2023.06.13 12:51:02 IST

Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy

CLR No. : 11068351392



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11068353225

ग्राम: मरुखेरा जमीर			पटवारी हस्ता: मरुखेरा जमीर		तहसील: जैतीनगर		जिला: सागर		वर्ष: 2023-2024		
पूँ के पान की यूनिक आईडी	पूँ के पान का प्रकार (सर्वेक्षण सत्यापक/हस्तिक सत्यापक)	पू-खण्ड सत्यापक (हस्तिक की दशा में)	1. फ्लैटल (डिपेंडर/बर्न नॉटर में) 2. पूँ उद्योग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. पू-राजस्व/पू-पाटक (रु. में)	1. पूँस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय पूँ	प्रत्येक पूँ स्वामी का अक्ष	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	माल्की कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विस्तार तथा प्रसार 1. बंधक 2. दृष्टिबधक 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में		
									फसल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1551200657	1341/4 (S)		1.4500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन पता सागर मध्य प्रदेश निजी संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0059/अ-19(3)/2020-21 एवं आदेश दिनांक 29/01/2021 के अनुसार दिनांक 21/10/2021 को शासकीय से निजी एवं खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0048/अ-19(3)/2020-21, आदेश दि. 09/07/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0049/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 19/07/2021 के अनुसार दिनांक 04/02/2023 को निजी से शासकीय एवं खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। चलाई हेतु कलेक्टर न्यायालय के आदेश क्रमांक 0049/अ-99(3)/2020-21 दिनांक 29/09/2021 के अनुसार कुल रकबा 92.08 हे० में से रकबा 8.20 हे० भूमि परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वन भूमि अर्जन होने के बदले वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित। म०प्र० रोड डेवलपमेंट कार्रवाई द्वारा सागर रहली मार्ग के लिए 6.08 हे० भूमि वन विभाग को हस्तांतरित।
81K7J2 DBP24 HHO											



Digitally signed by DS COMMIS AND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2023.06.13 12:57:21 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11068353225

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area;
NPV : Net Present Value;

- ☒ To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
☒ Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
☒ Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
☒ Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
☒ Paid : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :
 Select User Agency :
 Payment Status : ☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All
 Enter value for Search :
 SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/49265/2020 (./viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/49265/2020) Proposal for diversion of Forest Land, under DFO Sagar for Improvements and Widening of Sagar - Rehli Road SH-21 (KM 0/000 to KM 39/165) Section Sagar to Rehli under MPRDC, Division - Sagar with Fina	ROAD492652020631	22 May 2023	CA: 12599807/-Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 5823302/- Total : 18423109/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 30 May 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 30 May 2023 Transaction Date : 01 Jun 2023	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/290520232041138382_FPMPROAD492652020_User_Fund_Demanded_51770) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD492652020631)



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



Open Government Data (OGD) Platform India

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड

(म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) - (म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय संभागीय प्रबन्धक, सागर

मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर, तिली रोड तहसील सागर - 470002, Ph: 07582-241888

Web site: www.mprdc.gov.in, E-mail: dm-sagar@mp.gov.in

क्रमांक 510 /एमपीआरडीसी/ 2023-24

सागर, दिनांक 02/06/2023

प्रति,

वनमंडल अधिकारी

दक्षिण वनमंडल (सामान्य),

जिला - सागर (म.प्र.)

विषय:-

Rehabilitation and up gradation of Promoting Public Private partnership in Madhya Pradesh Sector Project Sagar-Rehli Road (PPPMRSP)- Package 22 length-37.415 km. :- रोड साइड वृक्षारोपण की कार्य योजना के संबंध में।

संदर्भ:-

1. MoEF का पत्र क्र. एमपीआर 013/2022/-बीएचओ/ दिनांक 22/05/2023.
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 500/एमपीआरडीसी/2023/ सागर दिनांक 01/06/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत एडीबी-6 परियोजना के पैकेज क्र. 22 एवं हायब्रिड एन्यूटी मॉडल अंतर्गत सागर-रहली मार्ग का उन्नयन कार्य म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा कंसेसनायर के माध्यम से प्रगतिरत है।

संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सागर-रहली मार्ग में 6.08 हे० व्यपवर्तित वन भूमि, म.प्र. सड़क विकास निगम को निर्माण कार्य हेतु उपयोग में देने हेतु शर्तों के अधीन सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की गयी है। उपरोक्त शर्तों के बिन्दु क्र. A (7) के अनुसार "The User agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department (SFD) and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency".

उक्त शर्त के संबंध में लेख है कि, एमपीआरडीसी एवं कंसेसनायर के बीच हुए अनुबंध अनुसार कंसेसनायर द्वारा कुल 353 वृक्षों (विभिन्न प्रजातियों के) का रोपण किया जाना है। अतः अनुरोध है कि उक्त संख्या अनुसार वृक्षारोपण हेतु योजना तैयार करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संभागीय प्रबंधक

म.प्र. सड़क विकास निगम लि.

संभाग सागर

सागर, दिनांक 02/06/2023

पृ.क्र. 511 /एमपीआरडीसी/2023,

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता (एडीबी-6) एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, एमपीआरडीसी भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री राहुल कोरी, सहायक महाप्रबंधक/ श्री जे.एस. चौहान, प्रबंधक एमपीआरडीसी सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. टीम लीडर/ रेसीडेन्ट इंजीनियर, मेसर्स ब्लूम कंपनीज, एलएलसी की ओर लेख है कि, संबंधित कार्य हेतु अपने प्रतिनिधि को निर्देश प्रदान कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।
6. कंसेसनायर मेसर्स व्हीव्हीसी-एसआरएल प्रोजेक्ट प्रा.लि. गुना की ओर वन विभाग से संपर्क स्थापित करके वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु।

संभागीय प्रबंधक

म.प्र. सड़क विकास निगम लि.

संभाग सागर